




XIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो.1605-दो/15

जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-7-15	<p>प्रकरण शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर आज प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री एस.पी.धाकड, अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । प्रकरण आदेशार्थ ।</p>	 सदस्य
3-8-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । विचारोपरान्त रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्रकरण क्रमांक आर.1805-एक/07 पुनः निम्बर पर लिया जाता है । यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य




न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-

12015/रेस्टोरेशन इसिंग 1805-II-15

श्री एस. एल. साठवडे आदी
द्वारा आज दि. 17/6/15 को
प्रस्तुत


कर्मचारी अधिकारी
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

1. रामसंजीवन पुत्र श्री रामगरीबा, उम्र-50 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
2. छोटेलाल पुत्र श्री रामगरीबा,
3. चुनका उर्फ रामाधार पुत्र श्री रामगरीबा, समस्त निवासीगण-बैकुण्ठपुर तहसील सिरमोर जिला रीवा (म०प्र०)

-----आवेदकगण

बनाम

1. गंगाप्रसाद पुत्र श्री रामप्रसाद
2. विहारीलाल पुत्र श्री विशेषर
3. जगदी प्रसाद पुत्र श्री विशेषर
समस्त निवासीगण-बैकुण्ठपुर तहसील सिरमोर जिला रीवा (म०प्र०)

-----अनावेदकगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन-पत्र निम्न प्रकार

प्रस्तुत हैं:-

1- यहकि, आवेदकगणों की मूल निगरानी व अभिभाषक

इसिंग 1805-I/07